महत्त्वपूर्ण

संख्या-19/2022/1177/तीस-4-2022-30-4099(099)/142/2022

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2022

विषयः- मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु बोटेनिकल गार्डेन सेक्टर-37 नोएडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस- वे-परतापुर-मेरठ बाईपास- घण्टाघर मार्ग को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड-बी के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण के अधिक्षेत्र में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-37 (जी)एसटीए/2022, दिनांक 14.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या-507एसटीए/2022, दिनांक 26.05.2022 को उल्लिखित करते हुए शासन की अधिसूचना संख्या-16/2022/819/तीस-4-2022-30-4099(099)/142-2022, दिनांक 28.06.2022 द्वारा मंजिली गाड़ी चलाने हेतु विनिश्चित 'बोटेनिकल गार्डेन सेक्टर-37 नोएडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस-वे- परतापुर-मेरठ बाईपास- घण्टाघर मार्ग' को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड-बी के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण के अधिक्षेत्र में रखे जाने के सम्बन्ध में शासन से दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया गया है।

2- संदर्भित पत्र दिनांक 14.07.2022 में किये गये उपरोक्त अनुरोध के क्रम में यह ज्ञातव्य है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के प्राविधान निम्नवत् हैं:-

Section 68(3)(b) in The Motor Vehicles Act, 1988

(3) The State Transport Authority and every Regional Transport Authority shall give effect to any directions issued under section 67 and the State Transport Authority shall, subject to such directions and save as otherwise provided by or under this Act, exercise and discharge throughout the State the following powers and functions, namely:—

(b) to perform the duties of a Regional Transport Authority where there is no such Authority and, if it thinks fit or if so required by a Regional Transport Authority, to perform those duties in respect of any route common to two or more regions;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के संदर्भित पत्र दिनांक 14.07.2022 के उक्त अनुरोध/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु 'बोटेनिकल गार्डेन सेक्टर-37 नोएडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस-वे-परतापुर-मेरठ बाईपास-घण्टाघर मार्ग' को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अधिक्षेत्र में लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन-1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, लखनऊ।
5. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।